न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, (प्रशासन) चितौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी– नारायण सिंह चारण, आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 43/2015 (निगरानी पंचायत) **दायर दिनांक 05.10.2015**

श्री शिवलाल पिता मोतीलाल कुमावत, निवासी पंचदेवला,
तहसील भदेसर, जिला चित्तौड़गढ

निगराकार/प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती लेहरी बाई पत्नी बद्रीलाल कुमावत, निवासी पंचदेवला, तहसील भदेसर,जिला चित्तौड़गढ
2. ग्राम पंचायत सुखवाडा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत सुखवाडा, पंचायत समिति भदेसर, जिला चित्तौड़गढ़।

–गैर निगराकार/(अप्रार्थीगण)

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 विरूद्ध ग्राम पंचायत सुखवाडा पंचायत समिति भदेसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 22.12.2004

उपस्थित :– वकील निगराकार :– श्री मोहनलाल जाट
वकील गैर निगराकारः– श्री कन्हैयालाल श्रीमाली विपक्षी संख्या 01
श्री गोविन्द त्रिपाठी विपक्षी संख्या 02

निर्णय **दिनांक 22.03.2018**

उपरोक्त अनवान प्रकरण का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी संख्या दो ग्राम पंचायत सुखवाडा द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 जो गैरनिगराकार संख्या एक के पक्ष में जारी किया गया वो अवैधानिक होकर निरस्त योग्य है। अधीनस्थ ग्राम पंचायत ने विपक्षी संख्या एक के पक्ष में जारी किये गये पट्टे के संबंध में विपक्षी संख्या दो द्वारा किसी भी प्रकार की मिसल कायम नही की गयी न ही विधिवत मिसल जारी कर मौके का भौतिक सत्यापन किया। केवल मात्र आनन–फानन में ग्राम पंचायत में बैठकर एवं वर्षो से काबिज है। जब नया गांव पंचदेवला पुर्नवास की स्थापना हुई तभी से प्रार्थी निगराकार का भूखण्ड पर शांति पूर्वक कब्जा है। उक्त पट्टे मे जो पडौस ग्राम

पंचायत द्वारा अंकित किये गये है उसमें पडौस गलत दर्शाये गये है फिर बाद में ग्राम पंचायत द्वारा काट फांस कर रखी है एवं ऐरा बना रखे है। विपक्षी संख्या एक द्वारा विपक्षी संख्या एक के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया उसकी ग्राम पचायत द्वारा पूर्ण सर्व सहमति नही ली जाकर जारी किया गया है। केवल मात्र सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा ही पट्टा जारी किया गया है। जो सर्वथा गलत होकर निरस्त योग्य है।

प्रकरण को विधिवत दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचना पत्र जारी किया गया।

प्रकरण पर विपक्षी को जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी जवाब प्रस्तुत नही करने पर दिनांक 18.01.2018 को जवाब विपक्षी बन्द किया गया।

प्रकरण पर वकील प्रार्थी बहस सुनी गई एवं वकील विपक्षी के बहस नही करने से दिनांक 14.03.2018 को वकील विपक्षी बहस बन्द की गई। प्रकरण पर वकील प्रार्थी का कथन है कि गैर निगराकार संख्या दो ने एक के पक्ष में पट्टा संख्या 13 दिनांक 27.12.2014 को जारी किया गया। प्रार्थना पत्र की प्रति में प्रार्थी का नाम कालू राम को काट कर लहरी बाई कर दिया गया जबकि इसका कब्जा नही है। मौके पर पडौस मिलान नही हो रहे है। पट्टे के पृष्ठ भाग पर दर्शाये पडोस में भी एरो (निशान बनाकर) इधर उधर किया गया है। मिलिभगत से पट्टा जारी किया गया जो अवैधानिक है। अतः निगरानी को स्वीकार कर ग्राम पंचायत सुखवाडा द्वारा जारी पट्टे को निरस्त कराने का श्रम करें।

प्रकरण पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया तथा वकील प्रार्थी के कथन का ध्यान किया गया। ग्राम पंचायत सुखवाडा द्वारा दिनांक 22.12.2014 को विपक्षी संख्या एक को पट्टा जारी किया गया जिसकी छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध है। पट्टे पर मात्र सरपंच के हस्ताक्षर अंकित है। सचिव के हस्ताक्षर नही है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 167 (2) के तहत् ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये जाने वाले पट्टे पर सचिव एवं सरपंच के संयुक्त हस्ताक्षर होते है जिसकी पालना ग्राम पंचायत द्वारा नही की गई है। ग्राम पचातय के समक्ष विपक्षी संख्या एक

के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 12.12.2004 पर कांट छांट कर विपक्षी संख्या एक का नाम अंकित किया गया है तथा पट्टे में पडोस की स्थिति में एरो (निशान बनाकर) अंकित किया गया है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के संबंध में संधारित अभिलेख संदेहास्पद प्रतीत होते है। इस संबंध में विपक्षी को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अपना पक्ष प्रस्तुत नही किया है, जिससे भी यह प्रतीत होता है कि विपक्षी को अपना पक्ष साबित करने के सबंध में कोई विधिक दस्तावेज नही है।

उपरोक्त विवरण एवं तथ्यों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा विधि विपरीत जारी किया गया है। अतः निगराकार निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत सुखवाडा, पंचायत समिति भदेसर द्वारा जारी पट्टा संख्या 13 दिनांक 22.12.2014 को निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.03.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन),चित्तौड़गढ